झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ..../राँची, दिनांकः ....

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 2 अदद् उद्वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य लागत राशि रू॰ 75.82 लाख (रू॰ पचहत्तर लाख बेरासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 2 अदद् उद्वह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य लागत राशि रू॰ 75.82 लाख (रू॰ पचहत्तर लाख बेरासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजनाओं का विवरण परिशिष्ट–I पर संलग्न है।
2. उक्त प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।
3. प्रस्तावित उद्वह सिंचाई योजनाओं में Construction of IntakeWell, Pump House, Outlet, Distribution Chamber, Mechanical fitting, Electrical Motor एवं Pump इत्यादि का प्रावधान किया गया है।
4. **इन योजनाओं का प्राक्कलन मुख्यमंत्री जनसंवाद अंतर्गत दर्ज शिकायत के आधार पर तैयार किया गया है।**
5. इन कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है–

(i) उद्वह सिंचाई योजनाओं का निर्माण झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।

(ii) योजनाओं के निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन, रख–रखाव एवं विद्युत विपत्र भुगतान का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। **अगर कार्यस्थल पर योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं विद्युत विपत्र भुगतान का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति (WUA) से प्राप्त नहीं रहने पर योजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा।**

(iii) इन योजनाओं के कार्यान्वियन के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा ।

(iv) योजना का कार्य, कार्यस्थल पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने/विद्युत आपूर्ति बहाल होने की कार्रवाई समानान्तर रूप से चलने की स्थिति में ही प्रारम्भ किया जाएगा।

6. इन योजनाओं के निर्माण कार्य से कुल **115** हे॰ (खरीफ–**90** हे॰, रब्बी–**25** हे॰) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी। औसत इंसिडेन्स ऑफ कॉस्ट रू0 **65930/– प्रति हे0** आकलित है। प्रत्येक योजना का लाभ–लागत अनुपात 1.0 से अधिक है।
7. इन कार्यो पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष–"4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–101–सतही जल–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण–45–निर्माण कार्य" अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन भारित होगा।
8. इन कार्यो के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़/बोकारो होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची होंगे।
9. इन कार्यो के कार्यान्वियन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

11. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:– यथोक्त्।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 137 / 2016 .... / **राँची, दिनांकः** ....
प्रतिलिपिः प्रतिलिपिः प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 137 / 2016 .... / **राँची, दिनांकः** ....
प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 137 / 2016 .... / **राँची, दिनांकः** ....
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल हजारीबाग / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ / बोकारो / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0 / –

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 137 / 2016 .... / **राँची, दिनांकः** ....
प्रतिलिपिः आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 137 / 2016 .... / **राँची, दिनांकः** ....
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु0:– यथोक्त्।

ह0 / –

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 137 / 2016 4811748 प्र.खी. / राँची, दिनांकः 16.10.2017

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अनु0:– यथोक्त्।

16/X/2017

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

16/10/17

परिशिष्ट–1

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन उदवह सिंचाई योजना निर्माण कार्य की सूची:–

(राशि लाख रू० में०)

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि	सिंचन क्षमता (हे०में०)			Incidence of Cost (Rs./ Ha)	10% ब्याज पर B.C. Ratio	अभि0
						खरीफ	रब्बी	कुल			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	रामगढ़	खम्भवा डैम पर उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	हजारीबाग	टाटीझरीया	37.314	20	5	25	149,256	1.5200	मुख्यमंत्री जनसंवाद शिकायत सं0–2016–1023
2	बोकारो	कनकचास ग्राम में उदवह सिंचाई योजना का पुर्निर्माण	बोकारो	चन्दनकियारी	38.506	70	20	90	42,784	1.5300	मुख्यमंत्री जनसंवाद शिकायत सं0–2016–32639
योग :–					**75.820**	**90**	**25**	**115**			

पत्रांक 48/17–18 प्र.स्था. दिनांक 16.10.2017

16/X/2017
उप सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग
16/10/17

D:\Dixit\My documents\PMC\3_137_16_AA